नम्बर अहकाम हुक्म का	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18/6/19 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान्तर्गत पेश करें संशोधित गाईल अवसर चाहे मांगे पर एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/6/19 को पेश हो। 18/06/19	
	20/6/19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी को लाकर कार आवाज लगाई गई परन्तु न्यायालय समाप्ति तक तक उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली आदेश हेतु रखकर अवलोकन किया गया। प्रार्थी सलाउद्दीन व अलीमुद्दीन की मृत्यु हो जाने पर वारिस मुकाम की तलाशी पेश करने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिये एक पहली कार्यवाही दिनांक 3-12-14 को लाई जाकर पेश करने संशोधित गाईल हेतु वकील प्रार्थी को आदेशित करने पर भी इन्होंने लम्बे समय तक पेश नहीं करना प्रतिलक्षित है। इस प्रकार प्रार्थी भी पैरवीकार को न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा संशोधित गाईल पेश नहीं करने पर प्रार्थी का प्रा० पत्र आ० आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत अपील तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल फोलिया शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद हो एक बार तकमीला डाखिल दफ्तर हो। 20/6/19 उपखण्ड अधिकारी सांभर, राज.